सिविल विविध

न्यायमूर्ति बल राज तुली के समक्ष.

एस. एल. 221, मेजर मनोहर लाल, - याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ आदि, - उत्तरदाता

1970 की सिविल रिट संख्या 2811

16 सितंबर, 1971

सेना अधिनियम (1950 का XLVI)- *धारा* 108 और 113 - सेना नियम *(1954)* - नियम 40 *और* 41 - *मेजर रैंक के सेना अधिकारी के जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा परीक्षण - कोर्ट* मार्शल *के सदस्यों में से एक कैप्टन के पद का* होना - मेजर रैंक के अधिकारी *की अनुपलब्धता के बारे में आयोजक अधिकारी द्वारा संलग्न कोई प्रमाण पत्र नहीं - ऐसी अदालत मार्शल - चाहे शून्य।*

माना जाता है कि सेना अधिनियम, 1950 की धारा 113 और सेना नियम, 1954 के नियम 40 (3) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एक कैप्टन जनरल कोर्ट मार्शल का सदस्य होने के लिए पात्र है। वह ऐसे सदस्य होने के लिए अयोग्य नहीं है। एक कैप्टन का जनरल कोर्ट मार्शल का सदस्य बनाए जाने के योग्य होना, केवल इसलिए कि आयोजन अधिकारी यह प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करता है कि मेजर रैंक का अधिकारी उपलब्ध नहीं है, उस जनरल कोर्ट मार्शल के गठन को अमान्य नहीं बनाता है। इसके द्वारा दिया गया निष्कर्ष अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है। जहां तक

किसी प्रमाण पत्र को संलग्न करने की आवश्यकता का संबंध है, नियम 40(2) के प्रावधान केवल निर्देशिका हैं। इसके अलावा, नियमों के नियम 41 के तहत, कोर्ट मार्शल के सदस्यों पर, जब वे अदालत के रूप में इकट्ठा होते हैं, तो इसके गठन के अनुसार जांच करने का कर्तव्य डाला जाता है। यह माना जाना चाहिए कि जब यह इकट्ठा होता है, तो इसके सदस्यों ने इसके संविधान की वैधता के संबंध में जांच की और कोई अमान्यता नहीं पाई गई। इसलिए मेजर रैंक के सेना अधिकारी का जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा चलाया गया मुकदमा, जिसका एक सदस्य कैप्टन है, मेजर की अनुपलब्धता के संबंध में आयोजक अधिकारी द्वारा संलग्न प्रमाण पत्र के बिना, शून्य नहीं है।

(पैरा 3 और 5)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका *में प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने के आदेश को रद्द करने के लिए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए और 17 मई,* 1969 *(ऐनी-शूर 'ए') और 6 अप्रैल,* 1970 के आदेशों को भी रद्द कर दिया जाए *(अनुलग्नक 'सी')।*

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एल. सिब्बल और अधिवक्ता एस. सी. सिब्बल .

हरि मित्तल, सहायक महाधिवक्ता (हरियाणा), उत्तरदाताओं *के लिए।*

निर्णय

न्यायमूर्ति तुली -- (1) याचिकाकर्ता सेना में एक मेजर है और 1950 के सेना अधिनियम (इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाता है) के अधीन है। 8 अक्टूबर, 1968 को अधिनियम की धारा 63 के तहत जुलुंदूर छावनी में जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया था। मुकदमा 19 अक्टूबर, 1968 को समाप्त हुआ और जनरल कोर्ट मार्शल ने उनके पक्ष में 'दोषी नहीं' का फैसला सुनाया। कोर्ट मार्शल किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जनरल ऑफिसर कमांडिंग (मुख्यालय) 15 इन्फैंट्री डिवीजन जिसे अधिनियम की धारा 109 के तहत जनरल कोर्ट मार्शल बुलाने का अधिकार दिया गया था। जनरल कोर्ट मार्शल ने अपनी कार्यवाही जनरल ऑफिसर कमांडिंग (मुख्यालय) पश्चिमी कमान, शिमला को भेज दी, ताकि सेना नियम, 1954 के नियम 63 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 153 और 154 (जिसे बाद में 'नियम' कहा जाए) के तहत पुष्टि की जा सके। पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग (मुख्यालय) 15 इन्फैंट्री डिवीजन को इस आधार पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया कि नियमों के नियम 40 (2) के तहत पहले जनरल कोर्ट मार्शल की कार्यवाही अमान्य थी; इसका कारण यह था कि जनरल कोर्ट मार्शल के सदस्यों में से एक कैप्टन के रैंक का था जब एक मेजर उपलब्ध था और आयोजक प्राधिकारी द्वारा कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था कि याचिकाकर्ता के रैंक का अधिकारी उपलब्ध नहीं था। 1 नवंबर, 1968 को एक दूसरा जनरल कोर्ट मार्शल बुलाया गया था, और याचिकाकर्ता का मुकदमा 6 नवंबर, 1968 को शुरू हुआ था। कोर्ट मार्शल ने याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया और वेतनवृद्धि, पदोन्नति और पेंशन के लिए वरिष्ठता के तीन साल के नुकसान की सजा याचिकाकर्ता पर लगाई गई। याचिकाकर्ता ने 27 जुलाई, 1969 को भारत के राष्ट्रपति को सेना

अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत एक याचिका दायर की, जिसे 6 अप्रैल, 1970 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने दूसरी कोर्ट मार्शल की बैठक बुलाने और उसे दी गई सजा को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दायर की। प्रतिवादी 1 और 2 द्वारा रिटर्न दाखिल किया गया है, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया था। प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के अतिरिक्त हलफनामे के जवाब में एक हलफनामा दायर किया जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है।

(2) याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दी गई पहली दलील यह है कि पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ने पहले जनरल कोर्ट मार्शल की कार्यवाही को अमान्य करार देकर कानून में गलती की थी। यह कोर्ट मार्शल 4 अक्टूबर, 1968 के एक आदेश द्वारा 15 इन्फैंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग द्वारा बुलाया गया था। उस कोर्ट मार्शल के सदस्य कर्नल रतन लाल पुरी, लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा विश्व नाथ, लेफ्टिनेंट कर्नल कुलदीप सिंह गिल, मेजर केलकर एसजी और कैप्टन रणबीर सिंह थे। इसी क्रम में मेजर सभरवाल सुरिंदर कुमार और कैप्टन हरि सिंह को प्रतीक्षारत सदस्य के रूप में नामित किया गया था। इस आदेश के आधार पर जनरल ऑफिसर पश्चिमी कमान के कमांडिंग-इन-चीफ ने निष्कर्ष निकाला कि जब कैप्टन रणबीर सिंह को जनरल कोर्ट मार्शल का सदस्य बनाया गया था, तब एक मेजर उपलब्ध था, जबकि आयोजक प्राधिकारी ने यह प्रमाण पत्र नहीं दिया था कि याचिकाकर्ता के रैंक का कोई अधिकारी, यानी मेजर, उपलब्ध नहीं था। अधिनियम की धारा 108 में कोर्ट मार्शल के प्रकारों की गणना की गई है, उनमें से एक जनरल कोर्ट मार्शल है; धारा 109 उन अधिकारियों

की सूची देती है जो जनरल कोर्ट मार्शल बुला सकते हैं और धारा 113 जनरल कोर्ट मार्शल की संरचना का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार, जनरल कोर्ट मार्शल में कम से कम पांच अधिकारी होते हैं, जिनमें से प्रत्येक ने कम से कम पूरे तीन वर्षों तक कमीशन रखा है और जिनमें से कम से कम चार उस रैंक के नहीं हैं जो कैप्टन से नीचे नहीं हैं। कुछ और न होने की स्थिति में, इस धारा के प्रावधानों के तहत एक कैप्टन जनरल कोर्ट मार्शल का सदस्य हो सकता है, लेकिन प्रतिवादियों की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि नियमों के नियम 40 (2) के तहत, एक कैप्टन को केवल वर्तमान मामले में नियुक्त किया जा सकता है यदि कोई मेजर उपलब्ध नहीं था। यह नियम निम्नानुसार है:-

> 40(1) जनरल कोर्ट मार्शल का गठन किया जाएगा, जहां तक संभव हो, विभिन्न कोर या विभागों के अधिकारियों का, और किसी भी मामले में विशेष रूप से उस कोर या विभाग के अधिकारियों का नहीं, जिससे आरोपी संबंधित है।
>
> (2) किसी अधिकारी के विचारण के लिए कोर्ट मार्शल के सदस्य उस अधिकारी से निम्न रैंक के नहीं होंगे, जब तक कि आयोजन करने वाले अधिकारी की राय में, ऐसे रैंक के अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं (लोक सेवा की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए)। इस तरह की राय को आयोजन आदेश में दर्ज किया जाएगा।
>
> (3) किसी भी मामले में कैप्टन रैंक से नीचे का अधिकारी फील्ड ऑफिसर के ट्रायल के लिए कोर्ट मार्शल का सदस्य नहीं होगा।

(3) "'फील्ड ऑफिसर' की परिभाषा के अनुसार, एक मेजर एक फील्ड ऑफिसर होता है। इस नियम के अनुसार, इसलिए, एक कैप्टन को जनरल कोर्ट मार्शल का सदस्य नियुक्त किया जा सकता था यदि एक मेजर उपलब्ध नहीं था। हालांकि आयोजन अधिकारी ने प्रतीक्षा सदस्य के रूप में एक मेजर के नाम का उल्लेख किया , लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया है कि अगर वह उपलब्ध थे तो उन्हें जनरल कोर्ट मार्शल के सदस्य के रूप में नियुक्त क्यों नहीं किया गया था। आयोजन अधिकारी ने यह प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया कि मेजर रैंक का एक अधिकारी उपलब्ध नहीं था और इसलिए, एक कैप्टन नियुक्त किया जा रहा था। निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि जहां तक प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता का संबंध है, नियम 40 (2) के प्रावधान अनिवार्य हैं या केवल निर्देशिका हैं। धारा 113 और नियम 40 (3) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एक कैप्टन जनरल कोर्ट मार्शल का सदस्य होने के लिए पात्र है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह याचिकाकर्ता के मामले में बुलाए गए जनरल कोर्ट मार्शल का सदस्य होने के योग्य नहीं था। उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप ने कानून के अनिवार्य प्रावधान और पंजाब राज्य में केवल निर्देशिका के बीच अंतर को इंगित *किया* । *सत्यपाल डांग और अन्य* [1], निम्नानुसार (हेड-नोट 'आई' के अनुसार): –

> कानून के एक अनिवार्य प्रावधान और जो केवल निर्देशिका है, के बीच अंतर यह है कि एक अनिवार्य प्रावधान में किसी अन्य तरीके से कार्य करने के लिए एक निहित निषेध है, जबकि एक निर्देशिका प्रावधान में

[1] A.I.R. 1969 S.C. 903

पर्याप्त अनुपालन को पर्याप्त माना जाता है। उन मामलों में जहां सख्त अनुपालन को अधिनियम की वैधता के लिए एक शर्त मिसाल के रूप में इंगित किया जाता है, इसे करने की उपेक्षा घातक है। लेकिन ऐसे मामलों में जहां एक सार्वजनिक कर्तव्य लगाया जाता है और प्रदर्शन के तरीके को अनिवार्य भाषा में भी इंगित किया जाता है, प्रावधान को आमतौर पर केवल निर्देशिका के रूप में माना जाता है जब दूसरों के साथ सामान्य अन्याय या असुविधा होती है और कर्तव्य का पालन करने वालों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है।

(4) जनरल कोर्ट मार्शल जनरल ऑफिसर कमांडिंग (मुख्यालय) 15 इन्फैंट्री डिवीजन द्वारा बुलाया जाना था और याचिकाकर्ता के पास इस संबंध में कोई नियंत्रण नहीं था। नियमों के नियम 41 के तहत, कोर्ट मार्शल के सदस्यों पर, जब वे अदालत के रूप में इकट्ठा होते हैं, तो इसके गठन के अनुसार जांच करने का कर्तव्य डाला जाता है। यह माना जाना चाहिए कि जब याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए 8 अक्टूबर, 1968 को जनरल कोर्ट मार्शल इकट्ठा हुआ, तो उसके सदस्यों ने इसके संविधान की वैधता के संबंध में जांच की और कोई अमान्यता नहीं पाई गई। उस अदालत की कार्यवाही को अमान्य घोषित करने से याचिकाकर्ता के साथ बहुत अन्याय हुआ, जिसे उचित सुनवाई के बाद उसके खिलाफ लगाए गए आरोप का 'दोषी नहीं' ठहराया गया। जब याचिकाकर्ता को दूसरे जनरल कोर्ट मार्शल के गठन के बारे में सूचित किया गया, तो उन्होंने तुरंत 30 अक्टूबर, 1968 को एक अभ्यावेदन

प्रस्तुत करके इसके संविधान के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया, जिसकी एक प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक 'डी' है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 193 के अधीन बनाए गए नियमों का वही सांविधिक बल है जो अधिनियम में अधिनियमित किया गया है और इसलिए, हमें अधिनियम की धारा 113 और नियमों के नियम 40 के उपबंधों को इस तरीके से पढ़ना होगा कि उन्हें सुसंगत बनाया जा सके। इन प्रावधानों के अनुसार, एक कैप्टन जनरल कोर्ट मार्शल का सदस्य बनाए जाने के लिए पात्र है और केवल इसलिए कि आयोजन अधिकारी ने यह प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया कि आरोपी रैंक का एक अधिकारी उपलब्ध नहीं था, उस जनरल कोर्ट मार्शल के गठन को अमान्य नहीं बनाता है और न ही यह माना जा सकता है कि उसके द्वारा दिया गया निष्कर्ष अधिकार क्षेत्र के बिना था या उसके समक्ष मुकदमे की कार्यवाही थी। शून्य और शून्य थे। जनरल कोर्ट मार्शल के गठन में याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं थी और उस मुकदमे का सामना करने के बाद, इस अत्यधिक तकनीकी आधार पर इसकी कार्यवाही को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता था। इस मामले को देखते हुए मुझे यह तय करने की जरूरत नहीं है कि पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ द्वारा दूसरे मुकदमे का आदेश दिया जा सकता है या नहीं, जब कार्यवाही जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा पुष्टि के लिए उनके पास भेजी गई थी। 1 नवंबर, 1968 के आदेश द्वारा बुलाए गए जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा आयोजित याचिकाकर्ता का दूसरा मुकदमा स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र से बाहर था और उस मुकदमे के

परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को दी गई सजा पूरी तरह से अवैध है।

(5) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, यह याचिका याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने वाले दूसरे जनरल कोर्ट मार्शल की कार्यवाही है और उस पर लगाई गई सजा को रद्द किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा उसे सुनाई गई सजा के खिलाफ याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को खारिज करने के आदेश को भी रद्द किया जाता है। प्रतिवादी 2 को अधिनियम के अध्याय XII में निहित प्रावधानों के अनुसार पहले जनरल कोर्ट मार्शल की कार्यवाही पर अपना आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है, जिसने 8 अक्टूबर, 1968 से 19 अक्टूबर, 1968 तक याचिकाकर्ता का मुकदमा चलाया था। चूंकि इसमें शामिल मुद्दा कठिनाई से मुक्त नहीं था, इसलिए मैं पार्टियों को अपनी मुआवज़े को वहन करने के लिए छोड़ देता हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वनित कौर सोखी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल , हरियाणा